



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082020-220821
CG-DL-E-04082020-220821

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2204]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942

No. 2204]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SHRAVANA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2020

का.आ. 2495(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1092(अ) तारीख " 16.03.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में NH70 के कि.मी. 164.500 से कि.मी. 200.900 (जैसलमेर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 05.05.2020" को "दैनिक भास्कर" और "राजस्थान पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में NH70 के कि.मी. 164.500 से कि.मी. 200.900 (जैसलमेर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: जैसलमेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जैसलमेर				
	गांव का नाम: मांगलियावास				
1	694	निजी	बंजड़	0.0972	नबिया पुत्र सदमान जाति मुसलमान सा तुर्के की बस्ती (694)
	गांव का नाम: सियाम्बर				
2	655	निजी	बारानी	0.4795	रमदान मुरीद मौलादाद पि जीया जाति मुसलमान सा सियाम्बर खातेदार (655)
	गांव का नाम: तुर्के की बस्ती				
3	529	निजी	बारानी	1.125	अली खान दीनू खान मलूक खान दादले खान पि थाहरू खान जाति मुसलमान सा देह खातेदार (529)
			कुल	1.7017	

[फा. सं. NHAI/PIU-Barmer/BM/Pkg-04/LA/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2020

S.O. 2495(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1092(E) dated 16.03.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary,

Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH70 on the stretch of land from Km 164.500 to Km 200.900 (Jaisalmer) in the district of Jaisalmer in the state of Rajasthan

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Rajasthan Patrika” both dated 05.05.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH70 in the stretch of land from Km 164.500 to Km 200.900 (Jaisalmer) in the district of Jaisalmer in the state of Rajasthan

State: RAJASTHAN		District: JAISALMER			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jaisalmer				
	Viilage: Mangliyawas				
1	694	Private	Banjad	0.0972	Nabiya Putra Sadman Jati Musalman Sa turkey Ki Basti 694
	Viilage: Siyambar				
2	655	Private	Barani	0.4795	ramdan Murid Mauladad Pi Jiya Jati Musalman Sa Siyambar Khatedar 655
	Viilage: Turkey Ki Basti				
3	529	Private	Barani	1.125	Ali Khan Deenu khan Malook khan Dadle khan pi Thahroo Khan Jati Musalman Sa deh Khatedar 529
			TOTAL	1.7017	

[F. No. NHAI/PIU-Barmer/BM/Pkg-04/LA/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.